



2026:AHC:5347

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2205, वर्ष 2025

अखलाक अहमद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं)केअधिवक्ता

: मुहम्मद आज़म

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. तत्काल याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे सार्वजनिक उपयोगिता वाली संपत्ति की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए यू.पी. राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत उचित कार्यवाही शुरू करें; यह संपत्ति राजस्व अभिलेख में 'बंजर भूमि' के रूप में दर्ज है, जिसका गाटा संख्या 84 है और क्षेत्रफल 0.104 हेक्टेयर है, तथा जो ग्राम नारायणपुर, तहसील- नौतनवां, जिला- महाराजगंज में स्थित है।"

"II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें राजस्व अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 17-07-2025 को पारित आदेश का अनुपालन करें; यह आदेश याचिकाकर्ता के गाँव में स्थित उपर्युक्त सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने से संबंधित है, और इसे वाद संख्या 4847/2025 (ग्राम सभा बनाम जयप्रकाश) में पारित किया गया था।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता को मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
4. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, दिनांक 22.8.2025 का एक व्यक्तिगत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विचाराधीन भूखंड से अतिक्रमण हटा दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 'स्पॉट मेमो' भी प्रस्तुत किया है, जिसे व्यक्तिगत शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या P.A.-1 के रूप में संलग्न किया गया है।
5. तहसीलदार के व्यक्तिगत शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में आगे किसी भी कार्रवाई का कोई आधार शेष नहीं है।
6. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

8 जनवरी 2026

रमीज़

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"